न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :285/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/427)

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. जंगा सिंह उर्फ जंग सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति मजहबी निवासी 12 एच मोहलां तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 22.09.2023

उपस्थित: 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 26.05.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 25/30 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि पुनर्वास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा गुरबचन सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति महजबी सिख निवासी 12 एच मोहलां तहसील श्रीकरणपुर को दिनांक 26.05.1958 को आवंटित की गई थी। आवंटन प्रमाण पत्र के अनुसार आंवटी गुरबचन सिंह पुत्र हरनाम सिंह के पारिवारिक सदस्य गुरबचन सिंह (स्वय), भगवान कौर (पत्नी), कुन्दन (पुत्र), मुखत्यारो (पुत्री), जंगा (पुत्र) है। उक्त आवंटन के पश्चात् जिला पुनर्वास एंव प्रबंधक अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा उक्त आवंटित भूमि की सनद् संख्या 2293 दिनांक 07.10.1986 को जारी की गई। जिसमें आवंटी गुरबचन सिंह के पारिवारिक सदस्यों में क्रम संख्या 5 पर जंगा पुत्र के स्थान पर गंगा पुत्री दर्ज कर दिया गया। जबकि आवंटन प्रमाण पत्र में वादी का नाम जंगा पुत्र आयु 10 वर्ष अंकित थी। उक्त सनद के आधार पर राजस्व अभिलेख एंव राजस्व जमाबंदियों में वादी का नाम गंगा पुत्री गुरबचन सिंह अंकित है। और उसी अनुरूप वर्तमान जमाबंदी चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 25/30 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 6.197 हैक्टेयर नहरी भूमि में क्रमांक संख्या 3 पर काश्तकार का नाम गंगा पुत्री गुरबचन सिंह हिस्सा 1240/6197 जाति मजहबी निवासी मोहलां खातेदार अंकित है, जबकि आवंटन प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त स्थान पर जंगा पुत्र गुरबचन सिंह नाम अंकित होना चाहिए था। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम जंग सिंह पुत्र गुरबचन सिंह दर्ज है। वादी का नाम न तो गंगा है एंव न ही जंगा सिंह है। वादी का वास्तविक नाम जंग सिंह ही है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 25/30 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम गंगा पुत्री गुरबचन सिंह एंव क्रम संख्या 5 पर अंकित जंगा सिंह पुत्र गुरबचन सिंह के स्थान पर जंग सिंह पुत्र गुरबचन सिंह घोषित किया जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1026 दिनांक 08.05.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ में पाया गया कि गंगा पुत्री गुरबचन सिंह नाम का कोई व्यक्ति गांव में निवास नहीं

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

करता है, न ही कालान्तर में करता था। जंगा सिंह का नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में गंगा पुत्री गुरबचन सिंह दर्ज है। जंग सिंह को ही ग्राम में जंगा सिंह के नाम से जाना जाता है। गंगा, जंगा तथा जंग सिंह तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। साक्ष्यवादी में गवाह सुखदीप सहि उपस्थित आए। शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया। साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 25/30 की प्रति, भूमि आवंटन पत्र की छायाप्रति,, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, सनद संख्या 2293 दिनांक 07.10.1986 की प्रमाणित प्रति, सनद के इन्तकाल संख्या 116 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 25/30 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम गंगा पुत्री गुरबचन सिंह एंव क्रम संख्या 5 पर अंकित जंगा सिंह पुत्र गुरबचन सिंह के स्थान पर जंग सिंह पुत्र गुरबचन सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम जंग सिंह पुत्र गुरबचन सिंह दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत 12 एच मोहलां के तस्दीक प्रमाण में प्रमाणित किया गया है कि गंगा सिंह उर्फ जंगा सिंह उर्फ जंग सिंह तीनों नाम एक ही व्यक्ति के है। इन तीनों नामों से एक ही व्यक्ति को जाना जाता है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू. अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 25/30 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम गंगा पुत्री गुरबचन सिंह के स्थान पर गंगा उर्फ जंगा सिंह उर्फ जंग सिंह पुत्र गुरबचन सिंह एंव क्रम संख्या 5 पर अंकित जंगा सिंह पुत्र गुरबचन सिंह के स्थान पर जंगा सिंह उर्फ जंग सिंह पुत्र गुरबचन सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

(श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जंगा सिंह उर्फ जंग सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर **285/2023**

निर्णय दिनांक :- 26.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 25/30 के मुरब्बा नम्बर 18 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम गंगा पुत्री गुरबचन सिंह के स्थान पर गंगा उर्फ जंगा सिंह उर्फ जंग सिंह पुत्र गुरबचन सिंह एंव क्रम संख्या 5 पर अंकित जंगा सिंह पुत्र गुरबचन सिंह के स्थान पर जंगा सिंह उर्फ जंग सिंह पुत्र गुरबचन सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 26.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/2025/313 दिनांकः 26.05.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)